SHRI RAM SEWAK : The matter is with the Finance Ministry. Unless I get their clearance, I cannot proceed. But I can give the assurancee that we will proceed further on it afier it is received from Finance.

SHRI SEZHIYAN : How long will it take for the file to come from Finance ?

SHRI RAM SEWAK : Unless the file comes, I cannot say anything.

SHRI SEZHIYAN : He simply passes on the work to some other department.

SHRI RAM SEWAK : I hope it will come in the near future.

MR. CHAIRMAN : He may continue tomorrow. We have to take up the half-hour discussion just now.

17.31 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION
ALLEGAL ENTRY OF PAKISTANIS INTO AJMER

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : सभापति महोदय, मैं आज जो चर्चा सदन के सामने उठा रहा हूं वह कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के बिना वीसा के अजमेर में जाने के सम्बन्ध में है। उसके साथ भारत सरकार के स्टील और हैवी इंजीनियरिंग विभाग के डिप्टी मिनिस्टर श्री शफी कुरेशी का नाम भी जुड़ा हुआ है। यह सवाल इस सदन में दो बार लिखित रुप में प्रस्तुत हुआ है, एक 19 नवम्बर को और दूसरे 21 नवम्बर को। 19 नवम्बर को इसका उत्तर प्रधान मंत्रों जी ने दिया है और 21 नवम्बर को इसका उत्तर गृह मंत्री जी ने दिया है। इन दोनों ही उत्तरों में जो कहानी बताई गई है वह यह है कि एक पाकिस्तानी नागरिक जिन का नाम श्री मीर पीर अजीज हुक्कानी है और उनकी पत्नी और उनके दो बच्चे जो पाकिस्तान से भारत आए थे 20 अगस्त से ले कर 19 नवम्बर तक के लिए तीन महीने के लिए परमिट ले कर, वे 31 अगस्त को हमारे कुरैशी साहब के साथ गाड़ी में गए और पहली सितम्बर को अजमेर जा कर उतरे। उतरने पर पुलिस वालों ने उनको रोका और उनको पूछा कि उनके कागजात कहां हैं. उनको दिखाया जाए। उनके पास कोई कागजात नहीं थे। लिहाजा एक अंडरटेकिंग लिखत रुप में दी गई कि हम अपने कागजात भूल आए हैं और दिल्ली जा कर कागजात दिखा देंगे। इस पर पुलिस ने उनको छोड़ दिया और दिल्ली आ कर वे कागजात दिखाए गए और उन कागजात में यह कमी पाई गई कि उनके पास अजमेर जाने का वीसा नहीं था। लिहाजा यहां के मैजिस्ट्रेट ने उनको फारेनर्ज एक्ट 1946 की दफा 14 के वायोलेशन में अपराधी पाया और अपराधी पाते हुए उन्हें चार सौ रुपये तथा एक दिन कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई।

यह है वह कहानी जो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में बताई गई है। इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न तीन सितम्बर को राजस्थान असेम्बली में भी उठाया गया। वहां पर जो इसका उत्तर दिया गया उस में और यहां जो उत्तर दिया गया उस में बड़ा भारी भेद है। वह भेद यह है कि भारत सरकार ने उत्तर दिया है, मालूम यह पड़ता है कि उस में बहुत कोशिश की गई है, बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी सावधानी के साथ श्री कुरैशी को जितना भी बचाया जा सके, जितना भी उनको उस में से निकाला जा सके, उतना निकाला जाए और श्री कुरैशी के सम्बन्ध में केवल यह बताया गया है कि वह रेल में उनके साथ सफ़र कर रहे थे और इससे ज्यादा और कोई श्री कुरैशी की इस प्रश्न में चर्चा नहीं है। लेकिन राजस्थान असेम्बली में तीन सितम्बर को वहां के गृह मंत्री श्री दामोदर लाल व्यास ने जो उत्तर दिया उस में उन्होंने यह कहा कि जो अंडरटेकिंग पुलिस के सामने दी गई वह अंडरटेकिंग भारत सरकार के उत्तर से तो यह मालूम पड़ता है कि श्री हुक्कानी ने

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

दी लेकिन वहां के गृह मंत्री ने राजस्थान की असैम्बली में यह स्वीकार किया है कि वह अंडरटेकिंग श्री कुरैशी ने दी और उन्होंने यह कहा कि ये भूल आए हैं, पेपर हैं और मैं दिल्ली जा कर दिखा दूंगा। इनके पास सारे वैलिड पेपर हैं और कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ओवर साइट से भूल आए हैं। इससे ज्यादा कोई दोष इनका नहीं है। यह लिखित अंडरटेकिंग इन्होंने दी।

इसी के साथ साथ जो बहुत सीरियस बात है कि क्योंकि भारत सरकार का एक जिम्मेदार आदमी अंडरटेकिंग दे रहा था इसलिए पुलिस ने उनको जाने दिया। इससे भी ज्यादा एक और सीरियस बात है। वहां श्री भैरो सिंह शेखावत ने राजस्थान असैम्बली में कहा यह जोकि इनवर्टिड कामाज में अखबारों में प्रकाशित हुआ था, हिन्दुस्तान टाइम्ज में चार सितम्बर को छपा था। उन्होंने पुलिस को अपना रौब दिखाते हुए कहा कि मैं भारत सरकार का मिनिस्टर हूं और मेरे रहते हुऐ आप इन को कुछ नहीं कह सकते हैं। वे शब्द रिपोर्टिड हैं और उन्हें मैं आप को सुनाना चाहता हूं :

> "The Minister told them: "They are with me. You have no business to ask such questions. I run the Government at the Centre"."

उन्होने कहा कि मैं केन्द्र में सरकार चलाता हूं, तुम्हारी यह जुर्रत कैसे हुई कि तुम ने इन को टोका, तुम्हें इन को टोकना नहीं चाहिए था।

इस कहानी में फ़र्क है और इसी लिए इस में तरह तरह की बातें पैदा होती हैं। एक बात तो यह है कि कुरैशी साहब ने लिखित अंडरटेकिंग क्यों दी। इस से यह भी सवाल पैदा होता है कि जिन आदमियों के लिए कुरैशी साहब ने अंडरटेकिंग दी उनके साथ कुरैशी साहब का क्या रिश्ता था। वे पाकिस्तान से आये। उन के पास तीन महीने दिल्ली में रहने और बाद में काश्मीर जाने का वीसा था। भारत सरकार ने जो जवाब दिया है, उस से पता चलता है कि उन के पास भारत में कहीं और जाने का वीसा नहीं था। कुरैशी साहब को यह मालूम था। लेकिन जैसा कि भारत सरकार के जवाब में ही नहीं, बल्कि राजस्थान के गृह मंत्री द्वारा भी बताया गया है, वे लोग कुरैशी साहब के यहां ठहरे हुए थे, वे इन के यहां से ही अजमेर गये और कुरैशी साहब ने उन के लिए लिखित अंडरटेकिंग दी और कहा कि इन के सब कागज़ात सही हैं, वे भूल से दिल्ली में रह गये हैं, मैं दिल्ली जा कर दिखा दूंगा। मैं समझता हूं कि वे भूल से नहीं रहे। 19 तारीख के भारत सरकार के उत्तर में बताया गया,

> "According to the Deputy Minister, Shri Hakkani was permitted to visit Ajmer during the Urs celebrations last year."

यानी वे पिछले साल भी उर्स में सामिल हो चुके थे। वह पढ़ी-लिखी फैमिली थी और उन लोगों को पता था कि अजमेर जाने के लिए उन्हें बीसा चाहिए। उन के नालेज में था कि उन के पास वीसा नहीं है। लेकिन मालूम पड़ता है कि डिपुटी मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं भारत का डिपुटी मिस्टिर हूं, मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई टोकेगा नहीं, पूछेगा नहीं और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन पता नहीं, वहां पर पुलिस को कैसे पता चल गया और पुलिस की हिम्मत भी बहुत थी कि उस ने डिपुटी मिनिस्टर के सामने उन लोगों को टोका, जिस पर डिपुटी मिनिस्टर साहब ने कहा कि तुम्हें टोकने की जुर्रत क्यों हुई। डिपुटी मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन के कागज़ात भूल से दिल्ली रह गये और उन्होंने लिखित अंडरटेकिंग दी। मैं समझता हूं कि यह बड़ी ग़लतबयानी थी। कोर्ट से साबित हो गया कि उन के पास बीसा नहीं था।

यह भी सवाल उठता है कि कुरैसी साहब

के अंडरटेकिंग पर किसी अपराधी को छोड़ देना क्या कोई ठीक कानूनी परम्परा है। वह डिपुटी मिनिस्टर हैं ; उन की अपनी जगह है। चाहे वह कितने ही बड़े ओहदे पर हों। अगर कोई आदमी किसी कानून को तोड़ता है और कोई नागरिक पुलिस को कहे कि इस को छोड़ दीजिए, मैं इस के पेपर दिखा दूंगा, तो क्या उस आदमी को, ख़ास तौर से एक ऐसे बिदेशी नागरिक को, जिस ने भारत में प्रवेश सम्बन्धी कानून को तोड़ा हो, छोड़ा जा सकता है ? गृह मंत्री महोदय उत्तर दें कि ऐसे आदमी को इस प्रकार छोड़ना कहां तक उचित है ।

उन पाकिस्तानी नागरिकों ने यहां कुछ किया या नहीं किया, उन को जो भी सज़ा मिली, जो कुछ भी हुआ, लेकिन जहां तक डिपुटी मिनिस्टर साहब के बर्ताव, व्यवहार और तौर-तरीकों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि वे काफ़ी आपत्तिजनक हैं. वह जान-बूझ कर उन लोगों को अजमेर ले गये और शायद अजमेर से भी उन्हें बचाकर इसलिए ले आये कि अगर वे अजमेर में पकड़े जायेंगे तो अदालत में उनको वह सुविधा नहीं रहेगी। दिल्ली में उन को चार सौ रुपये जुर्माने और कोर्ट के उठने तक कैद की सजा दी गई ।

मैं इस बात की चर्चा तो नहीं करना चाहता. क्योंकि यह बात कहने का कोई लाभ नहीं है कि हमारे डिपुटी मिनिस्टर साहब पहले काश्मीर में थे और कुछ साल वह नजरबन्दी में भी रहे, लेकिन—

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहमद शफ़ी कुरैशी) : अनरेबल मेम्बर की जो मर्जी हो वह कहें। वह हर मुस्लमान को पाकिस्तानी कहते हैं। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। वह इस बात को भूल जायें। वह हम को इस तरह धमका नहीं सकते

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैं इन को धमका नहीं रहा हूं ।

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी : हम हिन्दुस्तानी हैं और हम डट कर यहां रहेंगे ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैंने इन को पाकिस्तानी नहीं कहा है । (**व्यवधान**) क्या आप नजरबन्द नहीं रहे ? क्या यह गलत है ? मुझ पर रोब दिखाते हैं ? यह अजमेर का स्टेशन नहीं है और यहां पुलिस का सिपाही नहीं खड़ा है, ध्यान रखना चाहिए इन को... ...(**व्यवधान**)

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : यह बड़ी गलत बात है कि हर मुसलमान को यह पाकिस्तानी कहते हैं, उन्होंने मुझे पाकिस्तानी कहा है...

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैंने नहीं कहा पाकिस्तानी आप को । ...(**व्यवधान**)...मैंने इन को पाकिस्तानी नहीं कहा.....

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी : यह हर कश्मीरी मुसलमान को पाकिस्तानी कहते हैं । काश्मीरीयों के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती.....

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : आप बेइज्जती का काम करेंगे तो आप की बेइज्जती होगी। आप बच नहीं सकते इस बात को कह कर ।

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : I have very serious objection. This man has no right to say this. I should be given some time because my name had been brought in and I owe an explanation to this House.

श्री रवि राय (पुरी) : कुरैशी साहब को सुना जाय ।

MR. CHAIRMAN ; I shall give him a chance.

श्री बेणीशंकर शर्मा : (बांका) जिन के

नाम आये हैं प्रश्न पूछने के लिए उन को प्रश्न पूछ लेने दीजिए फिर मंत्री महोदय, एक साथ जबाव दे देंगे ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : एक बात में इन से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने मुझे जो कहा है.....

सभापति महोदय : आप ने सवाल पूछ लिया, हो गया । अब आप बार बार नहीं खड़े हो सकते ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : लेकिन मैंने इन को पाकिस्तानी नहीं कहा ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों का नाम प्रश्न पूछने के लिए है उन को पहले मौका दीजिए ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : हाफ ऐन अवर डिस्कशन में जिनके नाम क्वेश्चन है वह बोल ले उसके बाद प्रश्न पूछने वाले प्रश्न पूछ लेते हैं तब मंत्री महोदय जवाब देते हैं, यह इस हाउस की परम्परा रही है ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : सभी प्रश्नकर्ता जब प्रश्न कर लेते हैं तब सभी प्रश्नों का जवाब एक साथ मंत्री महोदय देते हैं ऐसी परम्परा आज तक इस सदन में रही है ।

सभापति महोदय : आप बैठिए । जवाब होम मिनिस्टर देंगे । श्री मु० शफी कुरेशी परसनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, ऐसा करने से हम लोग जो प्रश्न करने वाले हैं वह फिर उन्हीं बातों को पूछेंगे तो उनको फिर दोबारा वही उत्तर दोहराना पड़ेगा । इसलिए पहले सवाल हो जाय फिर वह जवाब दें सभी प्रश्नों का एक साथ ।

सभापति महोदय : श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : अध्यक्ष महोदय, यह जो इल्जाम शास्त्री जी ने मेरे खिलाफ लगाया है यह सरासर एक मरीज दिल की पुकार है । मैं समझता हूं कि वाकयात जो हैं वह मैं हाउस के सामने रखूं । मीर अजीज हकानी वाकई उन बदनसीब काश्मीरियों में से एक काश्मीरी हैं जो 1947 के बाद आजाद काश्मीर में या पाकिस्तान हेल्ड काश्मीर में रह गए । उन के वालिदेन, उनके बूढ़े बाप, उन की मां, और उनके तमाम रिश्तेदार इस वक्त काश्मीर में हैं, वह जिन्दा हैं और इस वक्त काश्मीरी वाशिन्दे हैं । पिछले साल यह शख्स तकरीबन 22 वर्ष के बाद हिन्दुस्तान आया और इस शख्स ने आज तक हिन्दुस्तानी शहरियत को तर्क नहीं किया है और न इस ने कभी यह दावा किया है कि हिन्दुस्तान में उसका कोई रिश्तेदार नहीं है । वह यहां आया और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए हुकूमते हिन्द से दरख्वास्त की काश्मीर जाने के लिए । जैसा कि तरीका है, एन्क्वायरी हुई और एन्क्वायरी के बाद हुकूमते जम्मू एंड काश्मीर ने कहा कि यह शख्स काश्मीरी वाशिन्दा है, इसके मां बाप यहां मौजूद हैं, इस के काश्मीर आने में कोई एतराज नहीं है । चुनांचे वह काश्मीर गया और अपने मां-बाप से मिला । दो महीने वहा रहा । इस साल यह शख्स अपनी बीबी, एक पांच साल की बच्ची और एक नौ महीने के लड़के को लेकर आया और मेरे साथ रहा और मैं समझता हूँ, यहां मैं एक बात वाजेह कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान आक्युपाइड काश्मीर में जो भी काश्मीरी हैं और पाकिस्तान में जो भी काश्मीरी हैं जिन्होंने आज तक अपनी हिन्दुस्तानी शहरियत को तर्क नहीं किया है वह मेरे भाई हैं और हिन्दुस्तान के शहरी हैं क्योंकि वह हिस्सा पाकिस्तान आक्यूपाइड जो एरिया है वह काश्मीर का हिस्सा है, हिन्दुस्तान का हिस्सा है और कोई शख्स यह नहीं कह सकता कि वह पाकिस्तानी वाशिन्दे हैं । लेकिन बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान उन को आने

नहीं देता, जब तक की वे पाकिस्तान से पासपोर्ट लेकर न आयें। यह शख्स यहां आया, मेरे पास रहा। इन को सभापति महोदय, सिर्फ 26 रु० मिलते हैं पाकिस्तान से आने के लिये, यहां दो-दो महीने लग जाते हैं काश्मीर जाने के लिए, ऐसी हालत में कहां जाय। मैं फख्र से कहता हूं कि इस शख्स को मैंने अपने साथ रखा, हजारों काश्मीरी पाकिस्तान से आते हैं, उतको अपने साथ रखूंगा, उन की मदद करूंगा।

इस शख्स ने दरखवास्त दी काश्मीर जाने के लिए। बदकिस्मती से जब यह अजमेर गया, मुझे मालूम नहीं था कि इस के पास विजा है या नहीं। वहां जाकर दरगाह के रजिस्टर में दर्ज करवाया, अपना नाम लिखा और वहां लिखा कि मैं पाकिस्तानी काश्मीरी हूं इस वक्त पाकिस्तान में रहता हूं। इस पर बाकायदा तौर से पुलिस के जरिए पूछताछ हुई। यह गलत बात है कि मैंने पुलिस को धमकाया, रौब दिखाया कि मैं डिप्टी मिनीस्टर हूं, कानून को नहीं चलने दूंगा। मैं समझता हूं कि मेरा सबसे बड़ा फर्ज यह था कि मैं उस को कानून के हवाले करता और मैंने उस को कानून के हवाले करवाया। अदालत का जो फैसला है उस से साफ जाहिर होता है—मैं उस को पढ़ कर सुनाता हूं—

> "The accused has confessed his guilt. The record of the police file show that the accused had intimated to the authorities immediately regarding his having gone to Ajmer and had also applied for condonation of the departure from rules. Having considered the case on its merits, I have reached the conclusion that there was no *mala fide* intention on the part of the accused to deceive the authorities or to take undue advantage of the visa issued to him."

यह हमारी अदालत का फैसला है—अबयह कहना कि वह गलत नीयत से या इरादे बाहर गया था, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि वह मेरे पास रहा, मुझे कतई इल्म नहीं था कि उस के पास डाक्यूमेन्ट्स नहीं हैं, विजा था, सिर्फ अजमेर के लिए एन्डोर्स्ड नहीं था।

इस लिए शास्त्री जी ने जो इल्जामात लगाये हैं, वे बेहूदा इल्जामात हैं, काश्मीरियों की इस से बड़ी तौहीन नहीं हो सकती कि वे कहें कि पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी एजेन्ट हैं।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैं फिर कहता हूँ कि मैंने यह नहीं कहा है .....

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हम इस की पुरजोर मजम्मत करते हैं।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैंने नहीं कहा कि काश्मीरी पाकिस्तानी हैं—वे गलत बात क्यों कह रहे हैं वे खुद बेहुदा बातें यहां करते हैं। इनकी सारी बातें बेहुदा हैं।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्रीमन्, शफ़ीक कुरेशी साहब ने जो वक्तव्य दिया है, उस के बाद मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय शास्त्री जी ने राजस्थान के गृह मंत्री जी का जो रेफ़ेन्स दिया है, उस के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। उन्हों ने अपने वक्तव्य में ऐसी कोई बात नहीं कही—जैसीकि शास्त्री जी के पास सूचना है। उन्होंने एक सीधी सी बात कही थी —राजस्थान असेम्बली की प्रोसीडिंग्ज़ मेरे पास हैं, जिसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं। राजस्थान के गृह मंत्री जी ने यह कहा था—

श्रीमान् कुरेशी जी ने कहा—

> 'He is staying with me in New Delhi. He has come from Pakistan under

[श्री विद्या चरण शुक्ला]

> valid passport today the 1st September, 1969. He accompanied me to Dargah Hazrat Khwaja of Ajmer. Unfortunately, his papers are lying in New Delhi. I shall check up party's visa at Delhi and let concerned authorities know about it '."

इस में न कोई इन्टीमिडेशन की बात है और न किसी चीज को छिपाने की बात है। जो साफ बात थी, वही कह दी थी कि पेपर्ज की देख कर जो अथारिटीज हैं जो कानून के चलानेवाले लोग हैं, उनको बता दूंगा। उस के बाद यहां लिखा है कि—

> "Peer Sahib is accompanied by his wife, aged 21 years, Tahira Begum and two minor children Razia, aged about 7 years and Madina aged about 9 months. Their visas will also be checked in Delhi and information conveyed accordingly. I have requested the Additional Superintendent of Police, to allow him and his family to proceed to Delhi."

यह बिलकुल सीधी सी बात है। उसके बाद कानून के अन्दर जो कार्यवाही होनी थी, वह की गई, अदालत में इन के मामले को पेश किया गया। अदालत में मीर साहब ने कहा कि मुझसे गलति हुई है, मुझे नियम मालूम नहीं था कि वहां जाने की इजाजत नहीं है। इसलिये उन के इरादे को ठीक पाकर अदालत ने साधारण-सी सज़ा दी और वह सजा उन्होंने पूरी भुगती। उसके बाद जब विज़ा समाप्त हुआ तो वह पाकिस्तान चले गये।

इस में यह कहना कि शफ़ी साहब ने या हमारे किसी अधिकारी ने उन के अपराध को छुपाया या इस में किसी किस्म की कोई ज़ोर—जबरदस्ती की या धमकाया—ये सरासर गलत बातें हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि शास्त्री जी सरीखे व्यक्ति के पास इस तरह की गलत सूचना कहां से आ गई जिसके आधार पर उन्होंने यहां पर ऐसी बातें कहीं। यहां पर तो जो रिकार्ड है, जो अदालत का फैसला है उससे साफ पता चलता है कि इसमें कुछ गलतफहमी जरूर थी और वह गलतफहमी दूर हो। और इसमें ऐसा भी नहीं हुआ कि माफ कर दिया गया बल्कि अदालत के फैसले के अनुसार पूरी कार्यवाही की गई। इसलिए मैं कहूंगा कि इसमें किसी को भी शक करने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं भी कानून का उल्लंघन किया गया है और जहां उल्लंघन किया गया है वहां पर जो कानूनी कार्यवाही है वह की गई। जहांतक कुरेशी साहब का मामला हैं, मैं नहीं समझता उसका जरा भी इसमें कोई दोष है।

श्री बेणी शंकर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत आरोपों और आक्षेपों के बिलकुल विरुद्ध हूं। मैं इन बातों को पसन्द नहीं करता। लेकिन अभी माननीय गृह मन्त्री जी ने जो कहा उसके सम्बन्ध में मेरा एक प्रश्न है। जहांतक अजीज़ हकानी साहब का सम्बन्ध है मेरी उनके साथ बड़ी हमदर्दी है। वे अजमेर की यात्रा के लिए गए थे। जैसे कि हमारे तीर्थ हैं वैसे ही उनके भी तीर्थ हैं। उनको तीर्थ यात्रा के लिए पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी लेकिन साथ साथ कानून का पालन भी होना चाहिए था मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार की पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक डिप्टी मिनिस्टर के साथ अपने व्यवहार में इतनी हिम्मत तो दिखाई। लेकिन मैं गृह मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि कुरेशी साहब का पुलिस से यह कहना कहांतक जायज़ था कि मैं कागजात देख करके जो कार्यवाही होगी वह कर दूंगा। पुलिस की अपनी जो कार्यवाही थी वह उन्हें पुलिस को करने देनी चाहिए थी ओर उसके बाद अगर चाहते तो उनकी जमानत ले करके आगे की कार्यवाही कर सकते थे। मैं श्री कुरेशी साहब की इमानदारी, दयानतदारी और सच्चाई पर अविश्वास नहीं करता। गलती आदमी से ही होती है। हर किसी से भूल हो सकती है।

लेकिन कुरेशी साहब का पुलिस के कामों में दस्तन्दाजी करना कहां तक जायज था मैं जानना चाहता हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि वे वहां तक सही थे पुलिस से यह बात कहने में कि ठीक है, "मैं इनके कागजात देख लूंगा और जो कुछ कार्यवाही होगी वह कर लूंगा।" मेरे विचार से उन्हें चाहिए था कि पुलिस को अपना काम करने देते। पुलिस के काम में दस्तन्दाजी करना कहांतक उचित था ?

श्री रवि राय : सभापति जी, मुझे दुख है कि इस तरह का सवाल हमारे सामने आया। में आपके जरिए यह चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कुरेशी साहब ने सफाई दी उसके बाद इस बार में संसद सदस्यों के दिमाग में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। मैं भी इस चीज के साथ कतई सहमत नहीं हूं और मैं समझता हूं कि हमारे देश में जो मुसलमान भाई हैं उन पर किसी तरह का कोई शक नहीं करना चाहिए। जिसके तरके से कुरेशी साहब बोले कि जो साथी उनके आये थे, हकानी साहब वह भले ही, पकिस्तान ने कश्मीर का जो हिस्सा अकूपाई कर रखा है, वहां के आदमी हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के हैं, हिन्दुस्तानी हैं तो इससे सदन को सन्तोष हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज के बारे में शुक्लजी का ध्यान खींचना चाहूंगा कि एक हमें एक मानवीय दृष्टिकोण भी रखना चाहिए—अभी परसों में और श्री मधु लिमये आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज गए थे, वहां पर पाकिस्तान से एक पुराने नेता, राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता, जोकि वहां सोशालिस्ट पार्टी के भी नेता थे, श्री मुबारक सागर, अपनी चिकित्सा के लिए आये हुए हैं और वहां पर उनकी चिकित्सा हो रही है। मैं और श्री मधु लिमये उनसे मिलने गए थे। मैं आपके द्वारा सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उनको यह शिकायत थी कि खुफिया विभाग के लोग रोज जाकर उनको तंग करते हैं। वे तीन महीने के लिए इलाज के सिलसिले में आये हैं। मैं मैं गृह मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बारे में छानगीन करें। श्री मुबारक सागर राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता हैं और वे हमारे मेहमान हैं। उनके दिमाग में इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए कि भारत सरकार की खुफिया बिभाग के लोग जाकर उनको तंग करते हैं। हमारे जैसे लोग उनको देखने जा रहे हैं। तो उनके दिमांग में इस तरह की बात नहीं आने देना चाहिए कि उनको तंग किया जा रहा है। मैं समझता हूं गृह मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में जरूर कुछ कार्यवाही करेंगे।

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा पहला सवाल है कि जवाब में यह दिया गया है कि अजमेर के लिए ऐन्डोर्समेंट नहीं था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान आने में जो कोई बाहर से आता है तो क्या हर जगह के लिए उस के वीजा पर ऐन्डोर्समेंट की जरूरत होती है ? जब दिल्ली कोई आ गया तो अजमेर के लिए भी ऐन्डोर्समेंट की जरूरत होगी ? इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि दूसरे देशों का मेरा निजी तजुर्बा है, मैं अमरीका में जब विद्यार्थी था तो सेनफ्रान्सिसको, शिकागो हो, वासिंगटन हो या न्यूयार्क हो, अपने कागजात के आधार पर कहीं भी जा सकता था, यह जरूरी नहीं था कि जगह-जगह जाने के लिए हर बार ऐन्डोर्समेंट कराऊं, इसी तरह से हांगकांग का मेरा ट्रान्जिट बीजा था तो उस में भी यह नहीं था कि फलां जगह जा सकता हूं, फनां जगह नहीं जा सकता। रंगून, पेनांग में भी यही था, लन्दन में भी था। तो मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ऐन्टर करने के लिए हरे जगह के ऐन्डोर्समेंट की जरूरत है ? एक बार इंडिया के लिए हो गया तो हर जगह के लिये लागू होना चाहिये। अजमेर के लिये ऐन्डोर्समेंट की क्यों जरूरत होगी ?

दूसरा सवाल यह है कि जो अजमेर गये

[श्री शिव चन्द्र झा]

और गिरफ्तार किये गये तो उन को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया या इमीग्रेशन वालों ने ? मैं भी गिरफ्तार हो चुका हूँ अमरीका में। लेकिन अमरीकी पुलिस ने मुझ को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि इमीग्रेशन वालों ने किया। वे लोग मेरे पास आये अपनी आइडेन्टिटी लेकर कि हम लोग इमीग्रेशन से आये हैं और आप को गिरफ्तार करना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इमीग्रेशन के कानून में पुलिस वालों को गिरफ्तार करने का हक है या इमीग्रेशन वालों को है ?

तीसरी और आखिरी सवाल यह है कि पाकिस्तान को ले कर के यह होता है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि आजाद कश्मीर पाकिस्तान में है लेकिन उस के लोग सब हमारे हैं, इस को मद्देनजर रखते हुये और पाकिस्तान से जो हमारा सम्बन्ध है उस को मद्देनजर रखते हुए, कुछ और लिबरेलाइजेशन की बात वह इमीग्रेशन कानून में करने की सोचेंगे ?

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jummu) : My question is a very simple but very basic one and 75 per cent of the ground of my question has almost been covered, I would like this clarification from the Home Minister. Is any distinction being kept in mind between the regular Pakistani nationals and those people who are residing in Pakistani occupied Jammu and Kashmir area, when they apply for visas for visits to the various cities in India, whether it is Srinagar, Ajmer or any other city ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति जी, जो पहला प्रश्न माननीय शर्मा जी ने पूछा उस में यह था कि जब उनके पास अजमेर का वीजा नहीं था तो क्यों हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि मैं दिल्ली में जाकर इसके कागजात देख कर फिर अधिकारियों को सूचित करूंगा। इस में तो मैं नहीं समझता कोई आपत्तिजनक बात थी। क्योंकि यदि उन के वीजा वगैरह के कागजात वहीं के वहीं होते तो वहीं देख कर तय कर लिया जाता कि उस पर क्या कार्यवाही करनी है। जब उप मंत्री महोदय को मालूम नहीं था कि उनके कागजात में वीजा है कि नहीं तो जब तक उस के बारे में तय नहीं कर लेते तब तक कुछ कार्यवाही करना मुनासिब नहीं होता। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई आपत्तिजनक बात थी यह कहने में कि आप इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए और दिल्ली में कागजात वगैरह देख लेंगे और फिर अधिकारियों को सूचित किया जायेगा। यदि कोई गलती होगी तो अधिकारियों को सूचित किया जायगा अन्यथा कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं होता। उसमें गलती पायी गयी और अधिकारियों को सूचित किया तथा अदालत में केस दायर किया गया और वहां पर जो उस को सजा मिली उस को पूरा किया गया।

श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या यह अथौरिटी का यूसरपेशन नहीं है ?

18.00 hrs.

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस का प्रश्न ही नहीं उठता क्यों कि अगर वहां यह निश्चित होता कि वीजा नहीं है और उस के बाद भी कहते कि आप इस मामले में कुछ न कीजिये और हम इन को दिल्ली ले जाते है और दिल्ली में जाकर जो कुछ होगा वह करेंगे तब वह ठीक नहीं था। लेकिन जब पता ही नहीं था और उन्होंने कहा कि दिल्ली में कागजात वगैरह देखेंगे और उस के बाद हम तय करेंगे, तब इस में मैं नहीं समझता कि कोई आपत्तिजनक बात है, और मैं समझता हूं कि माननीय शर्मा जी इस से सहमत होंगे।

माननीय झा जी ने जो प्रश्न पूछा, मैं उन को बताना चाहता हूँ कि साधारण रूप से वीजा का वही नियम रहता है जो वे कह रहे हैं, परन्तु हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो वीजाज हैं, उन के लिए नियम विशेष रूप से बनाया है कि हिन्दुस्तानी जब पाकिस्तान जाते हैं तो केवल उसी शहर या शहरों में जा सकते हैं जिसके लिये उन को वीजा दिया है और इसी तरह से पाकिस्तान के निवासी को यहां पर

पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर भारतीय राजदूत द्वारा जो वीजा दिया जाता है, वह विशेष शहर या शहरों के लिये दिया जाता हैं। बाद में आ कर कोई आवश्यकता पड़ जाय, तो दूसरी जगह का वीजा ले सकता है। कभी कभी ऐसी उसको आवश्यकता पड़ जाती है और ऐसा किया जाता है, पर वीजा का जो नियम, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के एग्रीमेंट के हिसाब से बना है वह यह है कि हर शहर के लिए अलग अलग बीजा का ऐन्डोर्समेंट पासपोर्ट में होता है।

जहां तक पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर के काश्मीरी भाइयों का सवाल है, मैं इस बात से सहमत हूं कि उन की तरह उदारतापूर्वक नीति रखनी चाहिये और हमारी जो जम्मू और काश्मीर की सरकार है, उसने इस उदारता की नीति को अपनाया है और इस उदारता की नीति के अन्तर्गत जितनी उदारता हम इन के मामले को दिखा सकते हैं उतना हम दिखाने का यत्न करते हैं और मैं समझता हूं कि हमारी नीति यह होनी चाहिये कि हम पूरी उदारता के साथ इन के साथ व्यवहार करें जिस से उन का मन जो हिन्दुस्तान के शहरी रहने का है या हिन्दुस्तान के साथ रहने का है या अपने मन में वे अपने को हिन्दुस्तानी मानते हैं, उस में हमें किसी तरह के रोड़े नहीं अटकाने चाहिए और न उन्हें हतोत्साहित करना चाहिये। इसलिए उदारतापूर्वक नीति का मैं समर्थन करता हूं।

...(**व्यवधान**)...

SHRI ABDUL GHANI DAR (Gurgaon) : I am on a point of order, Sir.

MR. CHAIRMAN: The House stands... (*Interruption*)

SHRI ABDUL GHANI DAR : This is a very important point.

MR. CHAIRMAN : ...adjourned to meet tomorrow at 11 O'Clock.

18.03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 4, 1969/Agrahayana 13, 1891 (Saka).